21-6-17 राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017

[illegible] / 2017 को ग्राम पंचायत हड़हड़ी

के [illegible] सेवा केन्द्र पर पेश हुई। वकीलवादी उप० अभि० / वकीलप्रतिवादी

को सुना गया / वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल अभि० खे०

नं० 712, 713, 717 वाके ग्राम चिरनी तहसील कुण्डा जिला अलवर

स्थित होकर अन्य आराजीजात के साथ वादी का 1/4 भाग दर 27/82

आगई तथा अन्य सहखातेदारान का हिस्सा दर्ज डिक्री है तथा जिन वादी

व अन्य सहखातेदारान के आपसी बटवारा अनुसार विवादित

आराजी जिन वादी के हिस्से आयी है इसलिए उन्हें पट्टा कागज सुपुर्द का

नहीं कराया है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के कब्जे वाले व्यक्ति हैं।

लेकिन जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद वादी के खिलाफ

प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित के बाबत प्रतिवादीगण को

हुक्मउदूली से पाबन्द किया जावे कि वे जिन वादी के काश्तकारी

में मजाहमत पैदा ना करे ना ही आराजी के बेदखल करे रोके की

यथास्थिति कायम रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जैसे

सम्मन तलब किये जाने पर जैसे अधिवक्ता हाजिर अदालत आये

लेकिन लगभग छः माह बीत चुके अवसर उपरान्त भी जवाब दावा पेश

नहीं किये जाने की स्थिति से वादी के वाद की त्रुटी होती है। मसले

आमने जिन की / पत्रावली का अवलोकन किये जाने एवं वकील

वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने पर यह न्यायालय

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वादवादी बहक वादी के खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर

आ०वि० नं० 712, 713, 717 वाके ग्राम चिरनी तहसील कुण्डा जिला अलवर

के बाबत हुक्मउदूली के प्रतिवादीगण को सदैव-सदैव के लिए पाबन्द किया

जाता है कि वे वादी के हिस्से आराजी तक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से

मजाहमत पैदा ना करे ना बेदखल करे रोके की यथास्थिति कायम रखें।

वाद शीर्षक निर्णिका आखिर अंग रहेगा। तदानुसार यथा डिक्री जारी

हो। पत्रावली निर्णित सुनाई हो। नकल से कम हो। वाद तकमील

जमा खिलाफ लेखा हो। मसले आमने सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

कुण्डा (अलवर)

Scanned by CamScanner